



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23092023-248918
CG-DL-E-23092023-248918

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 655]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 22, 2023/भाद्र 31, 1945

No. 655]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 22, 2023/BHADRA 31, 1945

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान
(संसदीय अधिनियम द्वारा स्थापित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2023

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीआर/145/2016/डीडी/171/2016/डीसी/962/2018.—चार्टर्ड अकाउंटेंट (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने सीए. अमर टंडन (सदस्यता संख्या 072630), एलजी-1, पिंकी अपार्टमेंट, 93-एन, डाली बाग, गंगा संस्थान के पास, लखनऊ-226001, को पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग I के खंड (6) और (7) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और उसके परिणामस्वरूप अनुशासन समिति ने पूर्वोक्त नियमों के नियम 19(1) के निबंधनानुसार सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, सीए. अमर टंडन (सदस्यता संख्या 072630) के नाम को 03 (तीन) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है और साथ ही केवल 1,00,000/- (एक लाख रुपये) रुपये का जुर्माना भी अधिरोपित किया। अनुशासन समिति के आदेश से व्यथित होकर, प्रत्यर्थी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 22ख के निबंधनानुसार अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील फाइल की और अपील संख्या 28/आईसीएआई/2022 में अपीलीय प्राधिकरण ने अपने दिनांक 30 अगस्त, 2023 के आदेश द्वारा अनुशासन समिति के आक्षेपित आदेश की पुष्टि की। तदनुसार, अनुशासन समिति के पूर्वोक्त आदेश के अनुसरण में, जिसकी पुष्टि अपीलीय प्राधिकरण द्वारा भी की गई है और पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988

के विनियम 18 के अधीन यह अधिसूचित किया जाता है कि अमर टंडन (सदस्यता संख्या 072630) का नाम 22 सितंबर, 2023 से 03 (तीन) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./437/2023-24]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd September, 2023

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PR/145/2016/DD/171/2016/DC/962/2018.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rule 18(17) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Amar Tandon (Membership No. 072630), LG-1, Pinky Apartments, 93-N, Dali Bagh, Near Ganga Sansthan, LUCKNOW- 226001**, guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Clauses (6) and (7) of Part I of Second Schedule to the aforesaid Act consequently after affording an opportunity of being heard in terms of Rule 19(1) of the aforesaid Rules, ordered for removal of the name of **CA. Amar Tandon (Membership No. 072630)** from the Register of Members for a period of 03(Three) months and also imposed a fine of Rs. 1,00,000/- (Rupees One Lakh Only). Aggrieved by Order of the Committee, the Respondent preferred an Appeal in terms of Section 22G of the Chartered Accountants Act, 1949 and the Appellate Authority in appeal no. 28/ICAI/2022 vide its order dated 30th August, 2023 has upheld the impugned order of the Disciplinary Committee. Accordingly, in pursuance of the aforesaid Order of the Disciplinary Committee which has also been upheld by the Appellate Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, it is hereby notified under Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations 1988, that the name of said **CA. Amar Tandon (Membership No. 072630)** shall stand removed from the Register of Members for a period of 03(Three) months with effect from 22nd September, 2023.

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./437/2023-24]